RP No. 1685
8-11-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011–पार्ट–I   जयपुर, दिनांक 21-10-2011

–: आदेश :–

इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011–पार्ट दिनांक 9.9.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश **एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है:–**

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	42/09	श्रीमती कृष्ण कान्ता शर्मा अधीक्षक, पुरातत्व एवं संगाहालय विभाग, जयपुर।	17/III/सी, बहुमंजिला गांधीनगर	30.11.2033
2.	81/09	श्री बृज सुन्दर शर्मा वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	III/104, गांधीनगर	31.5.2019
3.	94/09	श्रीमती प्रवीणा चारण अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	III/69, गांधीनगर	30.9.2033
4.	97/09	श्री वीरेन्द्र सिंह पुरोहित सांख्यिकी सहायक, कार्यालय उप शासन सचिव, वित्त (संस्थागत वित्त) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	III/72, गांधीनगर	30.6.2017
5.	77/2011	डॉ0 शिमला मीना चिकित्सा अधिकारी ऐनेस्थिसिया, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए–152, जवाहरनगर	31.7.2036
6.	78/2011	श्री नगेन्द्र सिंह भदौरिया चिकित्सा अधिकारी सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	15/70, मालवीयनगर	31.8.2040

आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
7. निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, वित्त संस्थागत वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. नियंत्रक एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
13. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

14. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी / जयपुर वि0वि0निगम लि0 गॉधीनगर / जवाहरनगर / मालवीयनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गॉधीनगर जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।**
17. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर– **कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
18. संबंधित अधिकारीगण।
19. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RRNo.1686
8-11-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011–पार्ट–I जयपुर, दिनांक 21-10-2011

–: आदेश :–

डॉ0 इन्दरा चौधरी, कृषि अधिकारी, उर्वरक कृषि निदेशालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 108/2011 है तथा सेवानिवृति दिनांक 30.9.2043 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011–पार्ट दिनांक 9.9.2011 के क्रमांक 27 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या जीए/III/टी–2/16, विद्याधरनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या जीए/III/टी–2/114, विद्याधरनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर मे निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

O/c(web.)
8-11-2011
9/11/11

आज्ञा से

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, कृषि निदेशालय पंत भवन, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।

6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 विद्याधरनगर, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर– **कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
9. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
10. निदेशक, उघान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. डॉ0 इन्दरा चौधरी, कृषि अधिकारी, उर्वरक कृषि निदेशालय, जयपुर।
12. डॉ0 इन्दरा चौधरी, निवासी जीए/III/टी–2/16, सहयोग अपार्टमेन्ट, विद्याधरनगर, जयपुर– कृपया परिवर्तित आवास का कब्जा लेकर उक्त आवास रिक्त कर सूचित करावें।
13. शासन सहायक सचिव,सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव